## संक्षिप्त

### पांच लाख के गांजे सहित आरोपी गिरफ्तार

**टोंक।** जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देशन में नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जिला स्पेशन टीम ने एक बाइक सवार को पांच लाख रुपए का अवैध गांजे साथ गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम ने बताया कि दूनी थाना क्षेत्र में अवैध नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए बाइक सवार आरोपी गोरधन उर्फ गौरव पुत्र दुर्गासिंह उम्र 25 साल निवासी बावड़ी खेड़ा थाना हिण्डोली हाल जयपुर रोड देवली से पूछताछ के बाद तलाशी करने पर उसके कब्जे से 9 किलो 490 ग्राम गांजा जब्त किया है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्यवाही में पुलिस ने आरोपी द्वारा प्रयुक्त की गई मोटरसाईकिल व एक मोबाइल फोन जब्त किया है। बाद में डीएसटी ने आरोपी को गिरफ्तार कर दूनी थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

### अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार

**टोंक।** अति.पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव के निर्देशन में निवाई वृत्ताधिकारी रविप्रकाश शर्मा के सुपरविजन एवं निवाई थानाधिकारी घासीराम के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अवैध देशी शराब के खिलाफ कार्यवाही करते निवाई कस्बा स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी से आगे कच्चे रास्ते से देशी शराब परिवहन करते हुए आरोपी जितेन्द्र कुमार जोलिया पुत्र रामलाल जोलिया उम्र 31 साल निवासी रेगरो का मोहल्ला, निवाई को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के कब्जे से 54 पव्वे अवैध देशी शराब जप्त किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूध एक्साइज एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

### बालिकाओं को सुरक्षा की जानकारी दी

**टोंक।** पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन गरिमा अभियान के तहत निवाई उपखण्ड के झिलाई के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में निवाई पुलिस उपाधीक्षक रविप्रकाश शर्मा ने छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। जिसमें गरिमा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, सिटीजन राजकॉप ऐप और साइबर हेल्पलाइन 1930 शामिल हैं।

# राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट पुलिसकर्मी सम्मानित

**कोटपूतली जिले के समस्त डीएसपी, थानाधिकारी व संचित निरीक्षक के सुपरविजन में बुधवार को परेड का आयोजन हुआ।**

**कोटपूतली।** जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के निर्देशानुसार गुरूवार को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर जिला पुलिस लाईन में प्रथम बार परेड का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर एएसपी कोटपूतली नाजिम अली खान, एएसपी नीमराना सुरेश कुमार खिंची समेत जिले के समस्त डीएसपी, थानाधिकारी व संचित निरीक्षक के सुपरविजन में बुधवार को परेड का आयोजन हुआ। इस मौके पर एसपी सतवीर सिंह द्वारा परेड की सलामी ली गई।

परेड में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने अनुशासन, समर्पण एवं उत्कृष्ठ प्रदर्शन का परिचय दिया। एसपी सिंह ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुये कहा कि राजस्थान पुलिस सेवा, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहने का आ ान किया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्कृष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सर्वोत्तम, अति उत्तम एवं उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त करने वाले कुल 54 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही सेवानिवृत कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर सर्वोत्तम सेवा चिन्ह से एएसआई मदनलाल मांडैया पुत्र माडूराम को, अति उत्तम सेवा चिन्ह से एसआई ओमप्रकाश पुत्र देबूराम सैनी, कानि. चालक नरेश कुमार पुत्र श्योराम सिंह, कानि. सुभाष चन्द पुत्र ख्यालीराम मीणा को एवं उत्तम सेवा चिन्ह से हैड कानि. संदीप कुमार पुत्र विशम्भर दयाल, कानि. अशोक कुमार पुत्र हुक्मीचंद, जयभगवान यादव पुत्र रतन लाल, कालूराम पुत्र कानाराम यादव, कमलेश कुमार पुत्र सरदारमल यादव, कंवरसिंह यादव पुत्र सूरजभान, कमलेश कुमार पुत्र बाबूलाल यादव, रामावतार पुत्र रामरतन यादव, शीशराम गुर्जर पुत्र हनुमान सहाय, सुनील कुमार जाट पुत्र चन्दाराम, उदयसिंह पुत्र रामसिंह यादव, विक्रम सिंह गुर्जर पुत्र महावीर आदि को एवं उत्कृष्ठ कार्य हेतु पुलिस निरीक्षक प्रकिता, उपनिरीक्षक प्रदीप सिंह शेखावत, अशोक कुमार, एएसआई जयराम, संतलाल शर्मा, राकेश कुमार, हैड कानि. अशोक कुमार, कानि. कंवरपाल, लखन सिंह, आरएचजी धर्मेन्द्र सेहरा, महिला कानि. सोना व अनोद, एएओ कंवरपाल, वरिष्ठ सहायक विक्रम सिंह, कनिष्ठ सहायक सुनील कुमार, मनीष कुमार, सुनील कुमार, कानि. देवेन्द्र कुमार, सुरजीत सिंह, सेवानिवृत्त कंपनी कमांडर रोहिताष्व ताखर, रिटायर्ड कानि. प्रकाश कुमार आदि को सम्मानित किया गया।

इस मौके पर राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विधालय में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में विजेता छात्र-छात्राओं चंचल कुमावत, भूमिका सैनी, काव्य छीपी, सिद्धांत शर्मा, प्रियांशु गुर्जर, पीहू सैनी, याशिका जलेन्द्रा, खुशीराम गुर्जर को एवं खेलकूद/पढ़ाई/अन्य गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भावेश बुरडक, काव्यांषी बराला, निकिता, दीपिका, मंजीत, हिमांशु, मनीषा फागणा, सुजल चौधरी, वर्षा आदि को सम्मानित किया गया।

वहीं पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिले के सभी कार्यालयों, थानों व चौकियों पर विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत धुरन्धर मुवी दिखाई गई। इस अवसर पर एसपी सतवीर सिंह व एएसपी नाजिम अली खान द्वारा पर्यावरण संरक्षण का सन्देश दिया।

### 330 टन अवैध बजरी का स्टॉक ज़ब्त

**टोंक।** जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाकर घाड थाना पुलिस ने खनिज विभाग ने साथ कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध बजरी का स्टॉक जब्त किया है। इसके साथ ही, पुलिस ने अवैध देशी शराब के परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही के दौरान टीम ने बुधवार को ग्राम आमली देवल्या में दबिश देकर आरोपी जगदीश पुत्र बजरंग मीणा के बाड़े से 150 टन और रामप्रकाश पुत्र रामरतन मीणा के बाड़े से 180 टन अवैध बजरी का स्टॉक बरामद कर उसे जब्त किया है, इस दौरान कुल 330 टन बजरी जब्त की गई है।

इसी प्रकार घाड़ पुलिस टीम ने क्षेत्र के खेड़ेश्वर गौशाला, चारनेट रोड पर घेराबंदी कर अवैध देशी शराब का परिवहन कर रहे युवक राजुलाल पुत्र मदनलाल रैगर मद्र 38 साल निवासी घाड़ के कब्जे से 48 पव्वे देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया है।

# 'न्यायालयीन तामीलों के शीघ्र एवं प्रभावी निष्पादन को प्राथमिकता देंवे'

- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रनवीर सिंह की अध्यक्षता में न्यायालयीन तामीलों के समयबद्ध एवं प्रभावी निष्पादन को लेकर हुई अहम बैठक

**किशनगढ़ बास।** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रनवीर सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को न्यायालयीन तामीलों के समयबद्ध एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी अतुल साहू, सुश्री जया सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खैरथल, प्रदीप कुमार उपनिदेशक अभियोजन खैरथल-तिजारा/भिवाड़ी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

न्यायालयीन तामील प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं परिणामकारी बनाने को लेकर हुई इस अहम बैठक में तामीलों के अदम (बिना निष्पादन के) लौटाए जाने, समय पर तामील नहीं होने तथा समुचित तरीके से निष्पादन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रनवीर सिंह ने कहा तामीलों में हो रही देरी के कारण न्यायालयीन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न हो रहा है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सम्बंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए तामीलों के शीघ्र, सटीक एवं प्रभावी निष्पादन को प्राथमिकता दें, ताकि न्यायिक कार्यवाही में गति लाई जा सके। इसके साथ उन्होंने अधिकारियों को तामील प्रक्रिया में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा समय-सीमा के कड़ाई से पालन पर भी विशेष बल दिये जाने के लिए कहां।

बैठक के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूयजडे अभियान के संबंध में भी चर्चा की गई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रनवीर सिंह ने कहा इस अभियान का उद्देश्य सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें इससे बचाव के प्रभावी उपायों की जानकारी प्रदान करना है।

इस अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक समन्वय एवं सहयोग पर भी बल दिया गया। बैठक में अधिकारियों आश्वासन दिया गया कि भविष्य में तामीलों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

### बजट घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए

**भरतपुर।** राज्य सरकार की बजट घोषणाओं वर्ष 2024-25 एवं 2026-27 के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीग जिले की प्रभारी सचिव एवं भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

# पानी संकट से जूझते पालड़ी गांव में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

**सड़क पर बर्तन लेकर उतरी महिलाए व ग्रामीण।**

**पावटा।** विराटनगर उपखंड क्षेत्र के पालड़ी गांव में लगातार गहराते पेयजल संकट को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा।

पानी की समस्या से त्रस्त बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष खाली बर्तन लेकर सड़क पर उतर आए। जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से गांव में नियमित पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पीने के पानी के लिए उन्हें दूर-दूर तक भटकना पड़ रहा है।

हैरानी की बात यह रही कि प्रदर्शन के दौरान जलदाय विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया। सूचना मिलने पर पंचायत प्रशासक किशोर कुम्हार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर जाम खुलवाया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि ग्रामीण इस आश्वासन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पेयजल समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

### 'मुख्यमंत्री विकसित शहरी वार्ड अभियान' से तय होगा विकास का रोडमैप

**मनोहरपुर ।** नगर पालिका मनोहरपुर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 'मुख्यमंत्री विकसित शहरी वार्ड अभियान' के तहत शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में अहम पहल शुरू की गई है। इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के लिए आने वाले वर्षों का विकास खाका तैयार किया जाएगा। इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यह अभियान 19 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक संचालित हो रहा है। इसका उद्देश्य वार्ड स्तर पर आमजन, जनप्रतिनिधियों और पूर्व पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करना है। वही वर्ष 2027 से 2035 तक का विजन तैयार करने की कवायद, अभियान के तहत नगर पालिका ने सभी पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों अपने क्षेत्रों के लिए विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे हैं।

# जनसुनवाई में प्रकरणों को अधिकारी रजिस्टर में संधारित करें : टीना डाबी

- जिला स्तरीय जनसुनवाई में 196 परिवाद दर्ज हुए

**कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई हुई।**

**टोंक।** जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में गुरुवार को लगभग 7 घंटे जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई चली। जिसमें जिले के दूरदराज के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने 196 परिवाद दर्ज कराकर व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं को बताया। जिला कलेक्टर ने एक-एक परिवादी की समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुना और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान देवली-उनियारा विधायक राजेन्द्र गुर्जर भी मौजूद रहे।

जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई में आए प्रकरणों का स्वंय रजिस्टर में संधारण करें, इससे प्रकरणों को ट्रेक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर निस्तारित होने वाले प्रकरण जिला स्तर पर नहीं आए।


## तीये की बैठक

हमारी पूजनीय माताजी **श्रीमती भौरी देवी** धर्मपत्नी स्व.श्री लालचन्द जी पायल का स्वर्गवास दिनांक 15.04.2026 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.04.2026 को दोपहर 3 से 5 बजे तक खण्डाका हाउस गार्डन, मैक्सवेल हॉस्पिटल के सामने, झोटवाडा रोड पर होगी।
**शोकाकुलः** हनुमानसहाय, कन्हैयालाल, भगवानसहाय, गोविन्द, रामेश्वर, महेन्द्र, मालचंद, बाबूलाल, लक्ष्मण एवं समस्त पायल परिवार 8384902621, 9314193543 निवासीः तेजाजी जी का मंदिर, उनियारों का रास्ता, चांदपोल, जयपुर

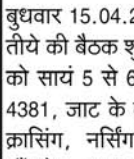

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय पिताजी **हनुमानसहाय** (पुत्र स्व.श्री मोरीलाल जी चौधरी) का स्वर्गवास बुधवार 15.04.2026 को हो गया है। तीये की बैठक शुक्रवार 17.04.2026 को सायं 5 से 6 बजे निज निवास - 4381, जाट के कुंए का रास्ता लास्ट क्रासिंग, नर्सिंग मंदिर के सामने, चाँदपोल, जयपुर में होगी।
**शोकाकुलः** छोटा देवी (धर्मपत्नी), राजेश, रवि (पुत्र), अशोक, रामस्वरूप, राजू, रामावतार, दीपक, सुरेश, महेंद्र (भतीजे), पीयूष, मिहिर, लकी, देवांश, हनी, जतिन (पौत्र) समस्त बूरी परिवार 8769383631, 9314228286

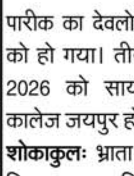

हमारे पूजनीय पिताजी **श्री महेश कुमार पारीक** पुत्र स्व. श्री हरिनारायण पारीक का देवलोकगमन 15.04.2026 को हो गया। तीये की बैठक 17-04-2026 को सायं 5-6 बजे पारीक कालेज जयपुर होगी।
**शोकाकुलः** भ्राता रमेशचंद्र, कृष्ण चंद, शिव प्रसाद, नित्यानंद। पुत्रः ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, मुकेश, अम्बिका प्रसाद, आयुष, पीयूष, अमित, अभिषेक, जितेन्द्र, नितेश। पौत्रः लक्ष्य, पर्व, भव्य, प्रपन्न। समस्त पारीक (केसोट) परिवार गुढ़कटला वाले।

**आम-सूचना** सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री हनुमान सहाय पारीक, एडवोकेट पुत्र स्व. श्री रामनारायण लाल पारीक, हाल निवासी-ई-188, कटारिया कॉलोनी, रामनगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर ने श्रीमती ऋतु अग्रवाल पत्नी स्व. श्री सचिन अग्रवाल, आदि अग्रवाल एवं आर्यन पुत्रान स्व. श्री सचिन अग्रवाल नाबालिग जरिये संरक्षक माता से मकान नं.-ई-44, रूप विहार कॉलोनी, विवेक विहार, सोडाला, जयपुर को दिनांक-06.03.2025 को खरीदने का इकरारनामा कर दिनांक-17.03.2025 को नियमानुसार तस्दीक कराया है, जिसमें इकरारनामें की शर्त अनुसार जे.डी.ए. का पट्टा विक्रेताओं के नाम होते ही उसकी प्रमाणित प्रति मेरे अभिभाष्य को उपलब्ध करवाकर बेचान-पत्र दो माह में उप-पंजीयक के समक्ष शेष राशि जरिये बैंक लोन प्राप्त कर पंजीयन करायेगी, अगर इस सम्पत्ति/मकान को अन्य किसी को विक्रय / हस्तानान्तरण / गिरवी / इकरारनामा विक्रय अनुबंध करेगी, व कोई क्रय करेगा तो उसकी समस्त सिविल / दाण्डिक कार्यवाही के जिम्मेदार स्वयं होगा व विक्रेता तत्काल जे.डी.ए. पट्टा की प्रति उपलब्ध कराये, ताकि बेचान-पत्र पंजीबद्ध हो। सूचित रहें। भवदीय
जयपुर, दिनांक: 17.04.2026 (धर्मेन्द्र सिंह चौहान) एडवोकेट, मो.-97845-57731

**खोया - पाया**
मैं अंशिता खुटेटा पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार खुटेटा, निवासी-37-38, यादव नगर, डेजर्ट इन के पास, अम्बाबाड़ी, जयपुर, राजस्थान की हूँ। मेरी सम्पत्ति प्लॉट नं. ए -128, लालचंदपुरा स्कीम, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर पर स्थित है। उक्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेज जिसमें आवंटन पत्र नं. डी4307 दिनांक 04.07.2007 एवं जेडीए द्वारा जारी कब्जा पत्र उक्त दोनों मूल दस्तावेज दिनांक 15.08.2024 को लता सर्कल, अम्बाबाड़ी, जयपुर के आस - पास गुम हो गये थे। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 16.04.2026 को दर्ज करवा दी गई है। उक्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेज किसी को मिले तो मुझे सूचित करें। एवं उक्त सम्पत्ति के दस्तावेजों का किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
मोबाईल नं. 9784882373

**खोया - पाया**
मैं अंशिता खुटेटा पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार खुटेटा, निवासी- 403 एसडीसी विंटेज पितल फैक्ट्री, बनी पार्क, जयपुर, राजस्थान की हूँ। मेरी सम्पत्ति प्लॉट नं. 470, अनन्तपुरा, सीकर रोड़, जयपुर पर स्थित है। उक्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेज जिसमें आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र उक्त दोनों मूल दस्तावेज दिनांक 20.04.2025 को बनी पार्क, जयपुर के आस - पास गुम हो गये थे। जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 15.04.2026 को दर्ज करवा दी गई है। उक्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेज किसी को मिले तो मुझे सूचित करें। एवं उक्त सम्पत्ति के दस्तावेजों का किसी ने गलत इस्तेमाल किया तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
मोबाईल नं. 9784882373

**कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर**
दूरभाष :-01423-220094, E-mail ID:tdr1chomu@gmail.com
क्रमांक:- /आर.ए./2026/715 दिनांक:- 16.04.2026
**आपत्ति नोटिस**
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय में प्रार्थी श्री प्रहलाद पुत्र नोलाराम जाति मीणा निवासी ग्राम सिंगोद खुर्द, तहसील चौमूं व अन्य ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सिंगोद खुर्द में स्थित साबिक खसरा नम्बर 953/1 रकबा 0.28 हैक्ट., खसरा नम्बर 954/1 रकबा 0.17 हैक्ट, खसरा नम्बर 954/3 रकबा 0.12 हैक्ट., खसरा नम्बर 956 रकबा 0.05 हैक्ट., खसरा नम्बर 958/2 रकबा 0.18 हैक्ट., खसरा नम्बर 951/2 रकबा 0.60 हैक्ट., खसरा नम्बर 951/3 रकबा 0.30 हैक्ट. एवं ग्राम नाडिया के साबिक खसरा नम्बर 653 रकबा 0.40 हैक्ट., खसरा नम्बर 654/1 रकबा 0.10 हैक्ट., खसरा नम्बर 654/2 रकबा 0.05 हैक्ट, खसरा नम्बर 655 रकबा 0.12 हैक्ट, खसरा नम्बर 656 रकबा 0.14 हैक्ट. प्रार्थीगण मे नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान पर अन्य व्यक्तियों किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने हेतु निवेदन किया गया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बरान पर दीगर व्यक्तियों का अवैध कब्जा पाया गया है। इस आशय का प्रकरण संख्या 01/2025 प्यारसी देवी वगै० बनाम बाबूलाल वगै० राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर होकर जेरकार है। अतः हर आम व खास एवं सम्पत्ति में हितबद्ध रखने वाले को पक्षकार को सूचित किया जाता है कि उक्त खसरा नम्बरान से प्रभावित भूमि में किसी प्रकार का विक्रय पत्र/हित रखने वाले को कोई उज्र या आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन से 07 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में कार्य दिवस को व्यक्तिशः अथवा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दस्तावेज प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी और विचाराधीन प्रकरण में निर्णय पारित कर पत्रावली निर्णित कर दी जावेगी। यह आपत्ति नोटिस आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रांक से जारी किया गया है।/ तहसीलदार तहसील चौमूं

**उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)**
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 14/2026
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम श्रीमती विमलेश गुप्ता पत्नि विश्वंभर दयाल गुप्ता व अन्य ने
विवाद स्थान पुलिस थाना मानसरोवर जयपुर के क्षेत्राधिकार
मृतक विश्वंभर दयाल गुप्ता के द्वारा छोडी गई Fixed Deposits in BOB 60/186 रजत पथ न्यू सांगानेर रोड के पास जयपुर की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 14/5/26
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम विश्वंभर दयाल गुप्ता पुत्र देवकी नन्दन गुप्ता जाति महाजन निवासी 15/29 शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 14 माह 05 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 10 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-शिरस्तेदार
मोहर अदालत अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश संख्या-10 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर

**अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी की सूचना**
(आदेश 41 नियम 14)
नाम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-2 जयपुर महानगर प्रथम
बजरंग लाल अग्रवाल विरूद्ध नागरिक सेवा समिति
अपील सं. 360 सन् 2019
(1354/15) (390/13)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश पश्चिम जयपुर महानगर जयपुर के न्यायालय की तारीख 18/10/2019 को बजरंग लाल अग्रवाल बनाम नागरिक सेवा समिति व अन्य
नाम नागरिक सेवा समिति, सैक्टर 7, विद्याधर नगर जयपुर कार्यालय श्री रोजगारेश्वर महादेव जरिये अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र जसोरिया निवासी प्लाट नं.307, सैक्टर 7, विद्याधर नगर जयपुर
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में.... अपील.... द्वारा प्रस्तुत उपस्थापित की गई है और न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय में तारीख 28 माह 04 सन् 2026 नियत की गई।
यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करने के लिए विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जावेगी।
यह आज तारीख 25 माह 03 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर के और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
मोहर अदालत अपर जिला एवं सैंशन न्यायाधीश क्रम-2 जयपुर महानगर-प्रथम

**(नियम 130 व 131) अपील की सूचना के अन्तर्गत धारा 426 (1) बी एन एस एस 2023**
**न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर ।। जयपुर**
दिनांकः28/04/2026
मनोज कुमार जांगिड़
बनाम
राज्य सरकार व अन्य
अपील/निगरानी सं.73/2025
अपील/निगरानी विरुद्धआदेश दिनांक 03/10/2025 के न्यायालय ए सी जे एम नं. 3 जयपुर महानगर जयपुर द्वितीय मुकदमा नं. मुकदमा नंबर 108/2025 अन्तर्गत धारा 316(2), 316(5), 318(2), 318 (4) सपठित धारा 61 (2), (ए) बी एन एस एस 2023 को धारा 426 (1) बी एन एस एस 2023 के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि अपीलाण्ट को उपरोक्त अपील/रिविजन इस न्यायालय में दिनांक 28/04/2026 को बजे 7.30 ए एम. पर सुनी एवं निर्णीत की जावेगी।
मोहर वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जयपुर**
**अदालती नोटिस**
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जयपुर के प्रकरण संख्या 578/2025 उनवान जीतू सिंह बनाम सरकार बाबत् खातेदारी घोषणा के आराजी खसरा म्बर 463 रकबा 0.07 हैक्टयर व खसरा नम्बर 466 रकबा 0.18 हैक्टयर ग्राम टाटियावास तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो साक्ष्यों सहित नोटिस प्रकाशन के 07 दिन के अन्दर इस न्यायालय में पेश कर सकते है। इसके पश्चात् स्वयं जिम्मेदार होंगे।
मोहर अदालत उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जयपुर

**कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल, वृत्त अलवर**
-:आवश्यक सूचना:-
आवास संख्या 2-क-1, सी.ई.बी. योजना अलवर जो कि मूलतः श्री जगदीश चन्द्र रावला पुत्र श्री कपूर चन्द्र रावला को आवंटन पत्रांक 15455 दिनांक 15.12.1975 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा आवास का अदेय प्रमाणपत्र क्रमांक 5133 दिनांक 30.03.1992 को श्री जगदीश चन्द्र रावला के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्री जगदीश चन्द्र रावला द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 31.03.1992 को उपपंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्री जगदीश चन्द्र रावला की मृत्यु दिनांक 23.12.2023 को हो जाने के उपरांत उनकी उत्तराधिकारी पुत्री श्रीमती अर्चना नकड़ा पत्नि श्री राजीव नकड़ा द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 17.08.2021 व मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत शपथपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर उक्त आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने हेतु शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है।
अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 2-क-1, सी.ई.बी. योजना अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती अर्चना नकड़ा पत्नि श्री राजीव नकड़ा के पक्ष में आवास का मृत्यु उपरान्त नाम प्रतिस्थापन हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, वृत्त अलवर

**NAME CHANGE**
I have changed my name from Vriddhi Kumari Agarwal to Vriddhi Agrawal for all purpose. R/o 617-618 sector -1 Vidhyadhar nagar Jaipur.(Raj.)

I Rudraksh Sharma Add-C-24, Bhagwan Das Road, C-Scheme, Jaipur-302001, Have Changed my Son's Name From R. Saksham Sharma to Saksham Sharma. In the future, he should be known by this name.

I have changed my name from Mohd Mosharraf Hasib,Md Mosharraf Hasib, Mosharraf Hasib Mohammad and Morsharaf Hasib to Mohammad Mosharraf Hasib son of Mohammad Hasibur Rehman. I will be known by this name in future purpose . Address:- Flat no 202,Dwarka Apartment, f no 2nd floor, sec 12,Mansarover,Jaipur Rajasthan 302020.

I have changed my name from HASAN SHEKH to HASAN IBRAHIM SHAIKH for all purposes. R/o- Shekha Ki Dhani, Ladipura, Jamwa Ramgarh, Jaipur

**खोया पाया**
मेरे मकान न. 11/311 मालवीयनगर का डिक्लेरेशन, व 11/319 का आवंटन पत्र मालवीय नगर में कहीं खो गया है- मिलने पर सूचित करें - ज्योति कुमार श्यारा 9829555884

मेरे मकान 4-भ-18 जवाहर नगर जयपुर का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, डिक्लेरेशन- जवाहरनगर में कहीं खोगए है मिलने पर सूचित करें- राजेंद्र प्रसाद गोयल 8003099705

आवास संख्या 31/06/11 मानसरोवर जयपुर का मूल कब्जा पत्र व मूल इकरारनामा व मुख्त्यारनामा व वसीयतनामा गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। नसीम कुरैशी मो.7240785786

मेरे मकान सं. 70/32 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल कब्जा पत्र व मूल सेवन डेज लेटर कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- 8696924248

मेरे भूखंड सं. 20 निजी खातेदारी की योजना मनवाजी का बाग जयपुर का पंजीकृत विक्रय पत्र जिसका रजिस्टर्ड नंबर 1370 है जो कि दिनांक 06/06/1984 को पंजीयन हुआ था जो कही गुम हो गयी है मिलने पर सूचित करे- देवेन्द्र कुमार जैन मो. 9694084831

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
**कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/306
चूंकि प्रार्थी श्री राकेश गुप्ता, मोहल्ला पिथावाली, कोटपूतली, कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान, 303108 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री भगवान दास चौधरी सेवा समिति, श्री भगवान दास चौधरी सेवा समिति, डाबला रोड, कोटपुतली, कोटपुतली-बहरोड़, राजस्थान, 303108 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 25/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29/04/2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
**कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 78/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी सुमन यादव पत्नी अजय सिंह यादव निवासी वार्ड 03 कंवरपुरा कोटपुतली जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान ने सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत मानव अकादमी संस्थान कंवरपुरा, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कोटपूतली जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 13/4/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 24/6/26
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
**कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर**
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस**
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/311
चूंकि प्रार्थी श्री श्री कुतल कुमार सैनी, पिथावाली कॉलोनी, कोटपूतली, कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान, 303108 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास IMC OF GOVERNMENT ITI, KOTPUTLI केयर ऑफ गवर्मोनमेंट कोटपूतली, मोहल्ला बडाबास, ITI कोटपूतली, कोटपूतली-बहरोड़, राजस्थान, 303108 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.04.2026
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

**कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-जमवारामगढ, जयपुर**
मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. परिसर, जैकब रोड, जयपुर क्लब के सामने, जयपुर-302006
E-mail :- eepwdjamwaramgarh@rajasthan.gov.in, E-mail :- eepwdjamwaramgarh@gmail.com
क्रमांक:- 46 दिनांक:- 13.04.2026
वन विभाग द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की सूचना का प्रकाशन
**विज्ञप्ति**
Diversion of 0.888 ha forest land for Construction of Road from SH-52 Tala Road to Tilak Nagar, Tehsil-Jamwaramgarh, District - Jaipur (Rajasthan) in favour of Executive Engineer, Public Works Department, PWD Division, Bassi, District -Jaipur (RAJASTHAN) - reg. सैद्धान्तिक स्वीकृति की सूचना (प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/405765/2022 dated 08/11/2022)। विस्तृत विवरण हेतु क्यूआर कोड स्कैन करे।
(गजानन्द मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-जमवारामगढ
जिला जयपुर
DIPR/C/6930/2026